फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मुकेश मेवाडा निवासी सोलंकी दरवाजा के अन्दर, देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 83/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 08.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से जरिये पत्र क्रमांक सूकाअ/244935667049410/2023/213 दिनांक 20.12.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री मुकेश मेवाडा पिता लादूलाल कलाल द्वारा ऑनलाइन संलग्न आवेदन जिसमें आवेदक सूचनाओ का निरिक्षण/प्रमाणित प्रतिलिपी चाहता है, जिसके अनुसरण में कार्यालय के आदेश क्रमांक सूकाअ/244935667049410/2023/168–170 दिनांक 31.10.2023 से प्रार्थी श्री लादूलाल कलाल को सूचित किया गया। अपीलार्थी श्री मुकेश मेवाडा दिनांक 26.12.2023 प्रार्थना पत्र बाबत जवाब पत्र की अनुपालना में पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी वांछित सूचनाओ का निरिक्षण/प्रमाणित प्रतिलिपी चाहता है, जिसके अनुसरण में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ के पत्र क्रमांक सूकाअ/244935667049410/2023/168–170 दिनांक 31.10.2023 से प्रार्थी श्री लादूलाल कलाल को सूचित किया जा चुका हैं। अतः अपीलार्थी को निदेर्शित किया जाता है कि कार्यालय समय में वांछित सूचनाओं का निरिक्षण कर उनकी प्रमाणित प्रतिलिपी नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से प्राप्त करें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद